

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर।

पत्रांक 108 / 14-1 बिजनौर, दिनांक, जुलाई, 1/7, 2017।
सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
सा0वा0 मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद।

विषय :- जनपद बिजनौर में भारत संचार निगम लिमिटेड बिजनौर द्वारा राज्य राज मार्ग संख्या-49 (मुरादाबाद-हरिद्वार) किमी0 36.00 से 62.600 (महाराणा प्रताप चौक) से दूरभाष केन्द्र धामपुर तक कुल 28.800 पर 0.804 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि में ओ0एफ0सी0 बिछाये जाने की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ :- online submission file no. FP/UP/Others/22790/2016.
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित ऑनलाइन सबमिशन जनपद बिजनौर में काठ-धामपुर मार्ग (एस0एच0-49) पर ओ0एफ0सी0 बिछाये जाने हेतु में प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.804 हे0 की गैरवानिकी प्रयोग हेतु अनुमति हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 यथा संशोधित 1988 की धारा-2 के अन्तर्गत 0.804 हे0 संरक्षित वन भूमि के भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव को हार्ड कापी की चार प्रतियाँ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। इस परियोजना से इस वन प्रभाग के अन्तर्गत किसी प्रकार का वन्य जीव प्रभावित नहीं होगा। कृपया उपरोक्तानुसार भूमि हस्तान्तरण की हार्ड कापी मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को भेजने की कृपा करें।

संलग्नक-हार्ड कापी की चार प्रतियाँ।

भवदीय

(एम0 सेम्मारन)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप मण्डलीय अभियन्ता, दूर संचार परियोजना मुरादाबाद।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, धामपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(एम0 सेम्मारन)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर।